सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश
1250, तुलसीनगर पिन कोड - 462003
ई-मेल : dir.socialjustice@mp.gov.in

क्रमांक/दि.स/एफ.न.18/2022/1337 भोपाल, दिनांक-07-06-22

प्रति,

समस्त
संयुक्त/उप संचालक
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण

विषय:- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 एवं नियम 2017 अनुसार दिव्यांगजनों को प्रदाय किये जाने वाले कानूनी संरक्षणता प्रमाण पत्र के फॉर्मेट के संबंध में।

संदर्भ:- संचालनालयीन पत्र क्र.155 दिनांक 27.1.2022

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के सेक्शन 14 अनुसार ऐसे दिव्यांगजन जो कानूनी बाध्यकारी निर्णय लेने में अक्षम है उनके लिये पूर्ण या सीमित रूप से किसी व्यक्ति/ संस्था को कानूनी संरक्षणता प्रदाय करने का प्रावधान किया गया है साथ ही उक्त अधिनियम अनुसार दिव्यांगता की श्रेणियों को 7 से बढ़ाकर 21 किया गया है। राज्य स्तर पर कानूनी संरक्षणता प्रमाण पत्र बनाये जाने हेतु कोई स्टेन्डर्ड फॉर्मेट न होने के कारण, संदर्भित पत्र द्वारा **स्टेण्डर्ड फॉर्मेट का प्रारूप** तैयार कर उक्त फॉर्मेट अनुसार कानूनी संरक्षणता प्रमाण पत्र बनाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उपरोक्त के क्रम में उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय न्यास, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय **भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय है** । उक्त अधिनियम अंतर्गत **स्वपरायणता (Autism), प्रमस्तिष्य घात (Cerebral palsy), मानसिक दिव्यांगता (Mental Retardation) एवं बहुदिव्यांगता (Multiple disabilities)** से ग्रस्त दिव्यांगजनो के संरक्षण, पुनर्वास एवं उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने हेतु जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्क्षता में **लोकल लेवट कमेटी (LLC)** का गठन किया गया है। अधिनियम की धारा 13-17 के अनुसार लोकल लेवट कमेटी का मुख्य उद्देश्य उपरोक्त 4 श्रेणियों के दिव्यांगजनों के **लीगल गार्जियनशिप (Legal guardianship)** से संबंधित प्रकरणों का निराकरण किया जाना है।

अत: संदर्भित पत्र के संबंध में आपको स्पष्ट किया जाता है कि दिव्यांगता की **4 श्रेणियों** यथा स्वपरायणता (Autism), प्रमस्तिष्य घात (Cerebral palsy), मानसिक दिव्यांगता (Mental Retardation) एवं बहुदिव्यांगता (Multiple disabilities) से ग्रस्त दिव्यांगजनो के कानूनी संरक्षणता प्रमाण पत्र नेशनल ट्रस्ट द्वारा निर्धारित फॉर्मेट (वेबसाईट www.thenationaltrust.gov.in पर उपलब्ध) अनुसार ऑनलाईन पोर्टल पर तैयार किया जाये।

संयुक्त संचालक (दि.स)
वास्ते आयुक्त
7/6/2022
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण म.प्र.

क्रमांक/दि.स/2022/ भोपाल दिनांक

प्रतिलिपी :-

1. उप सचिव, म.प्र. शासन सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संयुक्त संचालक (दि.स)
वास्ते आयुक्त
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण म.प्र.